उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

506535

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 14,60,265/-

बाजारू मूल्य — रू0 2,43,375/-

अदा किये गये जनरल स्टैम्प — रू0 1,46,600/-

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — मुजफ्फरनगर उर्फ बनियाखेड़ा
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 217 रकबा

INDIA NON JUDICIAL

25000 पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.220 हे0 का 1/2 भाग अर्थात रकबा 0.110 हे0, खसरा संख्या 92 रकबा 0.267 हे0, खसरा संख्या 93 रकबा 0.071 हे0 कुल रकबा 0.338 हे0 का 1/4 भाग अर्थात रकबा 0.0845 हे0 इस प्रकार कुल विक्रित रकबा 0.1945 हे0 स्थित ग्राम– [illegible]नगर उर्फ

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ के ... 229909

12 DEC ...

स. को. ... कोषागार लखनऊ

3-

नगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	–	हैक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.1815 हैक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	–	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 127322

9. पेड़ो की स्थिति - नहीं

10. बोरिंग / कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 217</u>

उत्तर	: खसरा नं0-218
दक्षिण	: खसरा नं0-216
पूरब	: खसरा नं0-208
पश्चिम	: खसरा नं0-219

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

127323

चौहद्दी खसरा नं0 92

उत्तर	:	खसरा नं0—101
दक्षिण	:	खसरा नं0—80
पूरब	:	खसरा नं0—93
पश्चिम	:	खसरा नं0—91

चौहद्दी खसरा नं0 93

उत्तर	:	खसरा नं0 101

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 127324

दक्षिण : खसरा नं0–94

पूरब : खसरा नं0–98

पश्चिम : खसरा नं0–93

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण		क्रेता का विवरण
गुरुदेव जानकी पुत्र स्व0 नन्डावारा उर्फ नन्हा निवासी –ग्राम–पुशुफनागर उर्फ	:	गनेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर सिटारी पो0 नौगांव, तहसील व जिला फतेहपुर।

गनेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 127337

नगीयामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	
व्यवसाय— कृषि	व्यवसाय— कृषि

यह विक्रय विलेख गुरुदेव जानकी पुत्र स्व० नन्हादास उर्फ नन्हा निवासी —ग्राम—मुजफ्फरनगर उर्फ नगीयामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम्

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 127338

गनेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर मिरारी पो० नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

गनेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRYLK

5 DEC 20

-9-

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 217 रकबा 0.220 हे0 का 1/2 भाग अर्थात रकबा 0.110 हे0, खसरा संख्या 92 रकबा 0.267 हे0, खसरा संख्या 95 रकबा 0.071 हे0 कुल रकबा 0.338 हे0 का 1/4 भाग अर्थात रकबा 0.0845 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.1945 हे0 स्थित ग्राम- यूसुफनगर उर्फ बगियानऊ, परगना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TR 9/1 177402

कोषागार

5 DEC 201

स. को. अ/कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

T.R.Y.L.K.O.

बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00024 व 00025 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गया है। विक्रेता पैसो की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T R Y L K O 2127
कोषागार लखनऊ से जारी
15 DEC 2007
स. को. अ/कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
T R Y L K O

भूमि नहीं है। 16. कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 127747

ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 127746

नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 14,85,265/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 127745

यही स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता तथा क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

का कोई अधिकार नहीं है। विकेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 127749

जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Q 208529

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3 NOV

स. को. अ./कोषाधिकारी,
कोषागार लखनऊ

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 822285

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुस्तफानगर एवं [illegible] अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य स्थान के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 12,50,000/- प्रति हेक्टेयर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1945 हेक्टेयर की मालियत रू0 2,43,375/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की [illegible] मूल्य से

अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 **1,46,600/-** का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप कुआं भी नहीं है तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिखा दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता को रू0 14,65,205/- द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0 [illegible] दिनांकित 18.12.2007 पंजाब नेशनल बैंक हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

विक्रय पत्र

[illegible] 215,000.00 5,000.00 40 [illegible] 2,000

[illegible]

[illegible]

एस.के.पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
19/12/2007

[illegible]

[illegible]

[illegible]

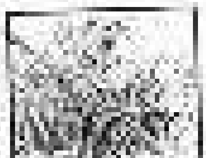

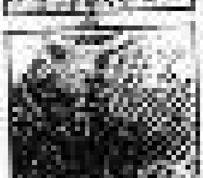

एस.के.पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
19/12/2007

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 14,65,265/- (रुपया चौदह लाख पैंसठ हजार दो सौ पैंसठ मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 10.12.2007
गवाह :- क्रेता की पहचान की
1.

विक्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

क्रेता

टाईपकर्ता
(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसौदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No. 11287 Year 2017 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] पथाना [illegible] तहसील [illegible]

खसरा ९७, ९२, ९५

जिला [illegible]

रकबा [illegible]

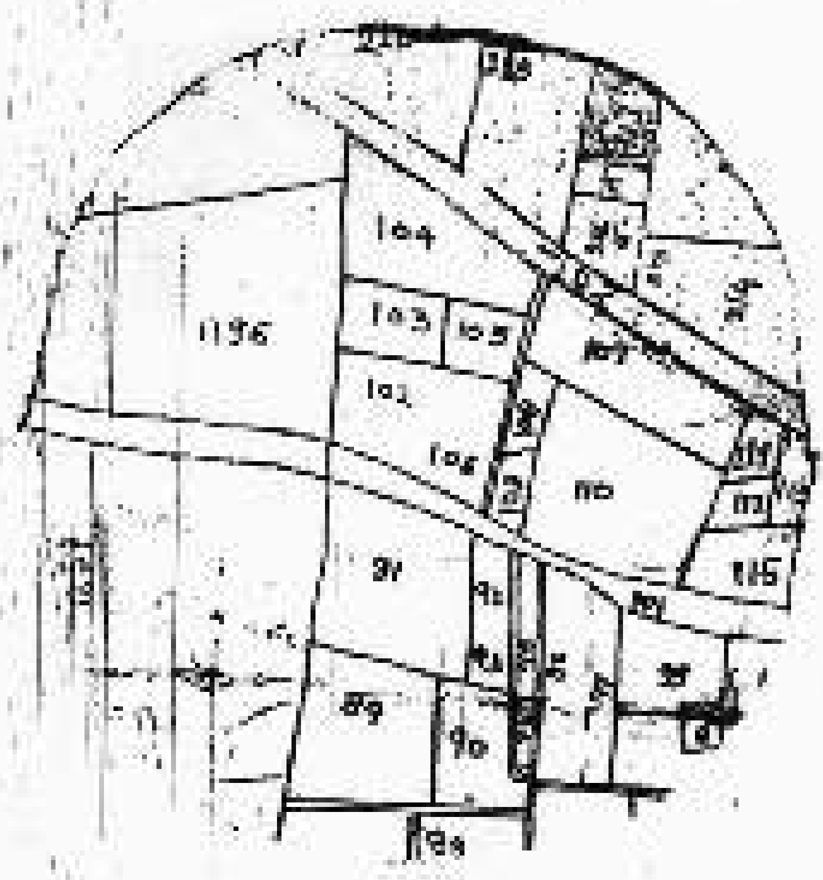

विक्रेता

क्रेता

[illegible]

Registration No. [illegible] - Year 2007 Book No.

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

अनुबंधकर्ता/विक्रेता का नाम व पता .... [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

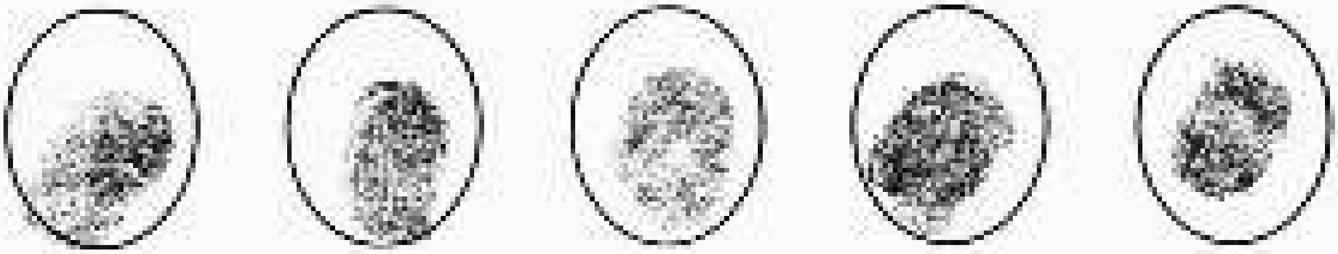

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

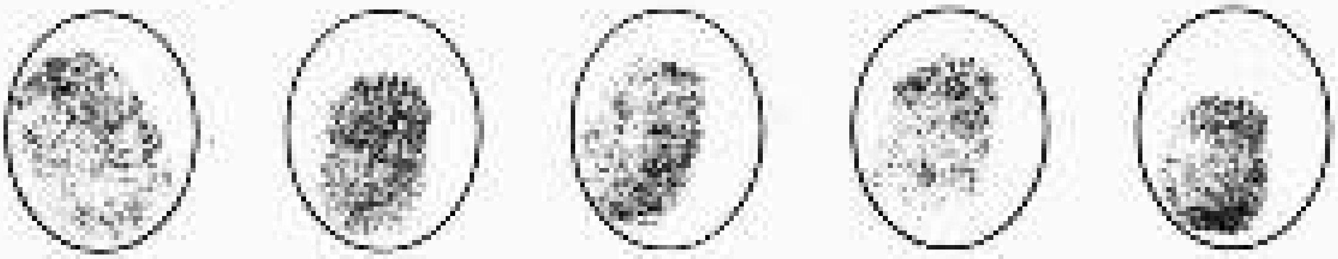

अनुबंधकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : .... [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

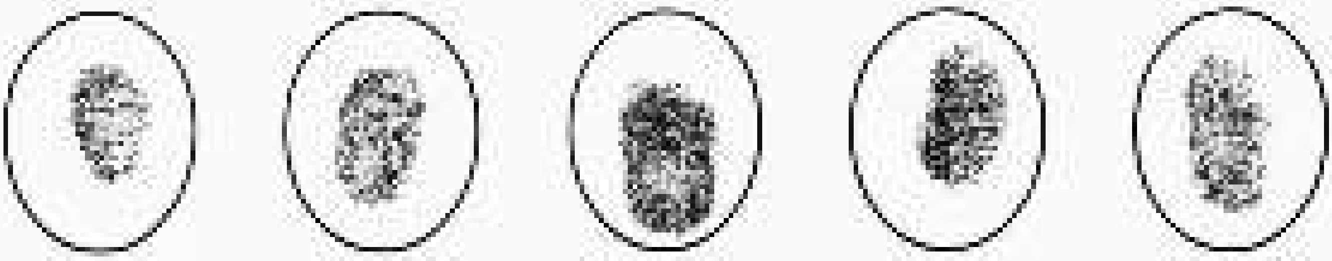

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

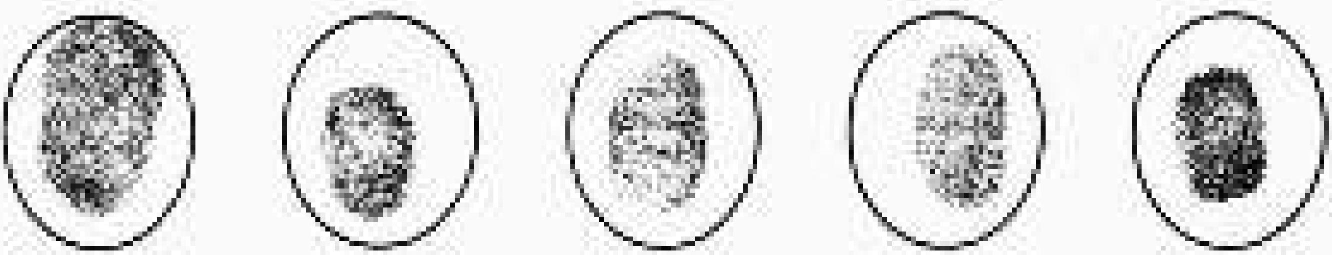

गनेश

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 18/12/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8789

पृष्ठ सं 199 से 248 पर क्रमांक 11287

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एम.के.पाण्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

18/12/2007